संख्या-17/2016/1497(2)/71-आयुष-2-2016-39/2016

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2016

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ के पत्र संख्या-211/मि0नि0/उ0प्र0, दिनांक 11-7-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-1७ में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए प्राविधानित कुल धनराशि रू0 250000000/-(रूपया पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-3-2016 के प्रस्तर-2 बिन्दु 19,20,21 के प्राविधानों के अनुसार प्रथम किस्त के रूप में रू0 57915000/- (रूपये पॉच करोड उन्यासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है-:

1- सचिव, निदेशक, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15-6-2016 को राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की गयी थी। निदेशक, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनॉक 20-6-2016 के साथ संलग्न उक्त बैठक के कार्यवृत्त में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत उ0प्र0 सरकार द्वारा रू0 16713.00 लाख की प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष रू0 10855.00 लाख की स्वीकृति 60:40 के अनुपात में प्रदान की गयी है, जिसमें केन्द्रांश के रूप में रू0 6513.00 लाख एवं राज्यांश रू0 4342.00 निर्धारित है।
2- स्वीकृत धनराशि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी। किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा-निर्देश तथा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णत: पालन किया जायेगा।
4- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्धिरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृस्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- प्रस्तावित कार्यो को समय से कराये जाने का पूर्ण दायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

6- स्वीकृत धनराशि को राज्य आयुष सोसायटी के बैक खाते में जमा करने हेतु अग्रिम आहरण हेतु प्रथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथास्थिति अवशेष धनराशि के समायोजन का उत्तरदायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-33 के लेखा शीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य(क्रमश)-05 चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान (क्रमश)103-यूनानी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय आयुष मिशन (के0-60/रा0-40-के0+रा0)-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-3-2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या-17/2016/1497(3)/71-आयुष-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।

3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।

4- मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ

5- वित्त नियंत्रक, यूनानी निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।

7- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in